



लोक  
सिखा मजिस्ट्रेट

४८

खर्च बकाया निकलते है। उक्त ऋणी को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के मात्र) दिनांक 31.03.2025 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे को ब्याज व अन्य कुल बकाया राशि 2,18,362/- (अक्षर दो लाख अठतरह हजार तीन सौ बासठ रुपये खर्च को दिनांक 06.07.2024 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणीगण के साथ किये गये ऋण अर्बुद की शर्तों के नियमानुसार नही चुकाया, जिसकी वजह से उक्त महेंद्र पुत्र खानजी का बाजा स्थित है। अप्रार्थी/ऋणीगण ने उपलब्ध ऋण को, बैंक के परिवेष्टन में स्वयं की जगह के बाद आम रास्ता, उत्तर में भाईयाँ का रास्ता तथा दक्षिण में जिसका कुल क्षेत्रफल 66.66 वर्गज है एवं जिसकी सीमाएं पूर्व में स्वयं की जगह खाली, संख्या 92, बाकें आम व आम पंचायत खोहल्या तहसील जिन्यारा जिला टोक में स्थित है। एवम में बंधक सम्पत्ति, मजान लाल के स्वामित्व व अधिपत्य की एक सम्पत्ति/भूखण्ड. पट्टा गया था व अप्रार्थी/ऋणियाँ, जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त ऋण की सुरक्षा के से 1,75,000/रुपये (अक्षर एक लाख पित्तर हजार रुपये मात्र) का ऋण उपलब्ध कराया कम्पनी से ऋण खता संख्या FINWFMLONS00005042131 से दिनांक 18.08.2022 बैंक/कम्पनी के बंधककर्ता ऋणी/सहऋणी/गारंटर है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/ प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अप्रार्थीगण, Securities Interest Act 2002 के तहत पैरा हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

Securisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The

आदेश दिनांक 02.06.2026

असैट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्युरिटीइंफोर्समेंट एण्ड रिकन्स्रुक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल

- 1. चौथमल शीगा पुत्र मजान लाल शीगा निवासी ग्राम खोहल्या, टोक राजस्थान
- 2. मजान लाल पुत्र मुंशी लाल शीगा निवासी ग्राम खोहल्या, टोक राजस्थान
- 3. शीगा देवी पत्नी मजान लाल शीगा निवासी ग्राम खोहल्या, टोक राजस्थान

बनाम

बैंगल एस्टेट, मुंबई - 400038  
श्रीएफएमएस एस्टेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रथम मंजिल, बकफील्ड हाउस, स्पॉट रोड,  
...प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

प्रकरण संख्या प्रविष्टि दिनांक  
46 / 2026 24.04.2026

(पीठासीन अधिकारी टीना ज़ाबी, आई.ए.एस.)  
न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट टोक



फिना मजिस्ट्रेट  
ऑफ

638

in his opinion, be necessary.

- (1) the chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or  
(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section  
(b) Forward such assets and documents to the secured creditor.  
(a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and

District Magistrate shall, on such request being made to him-  
thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the  
documents relating thereto may be situated of found- to take possession  
the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other  
such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or  
secured creditor may, for the purpose of taking possession of control of any  
transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the  
secured creditor or if any of the secured assets is required to be taken by the  
(1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the  
secured creditor in taking possession of secured asset-

14- Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured

स्पष्ट प्रावधान है, जो इस प्रकार है।  
2002 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी को दिलाया जाने बाबत  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act  
को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and  
क्रिया जाने व गारंटी के पश्चात धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः श्रुती  
दिनांक 04.10.2016 के अनुसार श्रुती की धारा 13 की उप धारा 2 के तहत नोटिस जारी  
6256/2016 एकजुक्त मार व अन्य बचत निगम लिमिटेड उदयपुर व अन्य, से पारित निर्णय  
न्यायिक दृष्टान्त, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की रिट याचिका संख्या  
करने के पश्चात भी मांग की गई श्रुती का अप्रार्थना द्वारा भंगाने नहीं किया गया।  
प्रार्थी बैंक / कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी  
प्रावधान एवं प्रसूत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि

रहा है।  
बैंक / कम्पनी को जारी पुलिस हेमदाद संभालने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया  
तहत उपरोक्त खाल में देय श्रुती क पुनर्भंगान हेतु रहन श्रुती सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी  
Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 के  
सम्भाला है। प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा The Securitisation and Reconstruction of  
गई है। श्रुती द्वारा बचक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक/कम्पनी को नहीं  
में प्रकाशित करवाये जाने के बावजूद श्रुती द्वारा श्रुती मय ब्याज चुकाने से बैंक की  
अन्तर्गत दिनांक 27.05.2025 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किये जाने तथा समाचार पत्र



काट, 2026  
दिनांक 02.06.2026  
संज्ञाया संज्ञाया संज्ञाया

आदेश आज दिनांक 02.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संबंधित बैंक/कम्पनी द्वारा वकन किया जाएगा।  
अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनभत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो  
सुईया कराने हेतु निर्णय प्रति सिजवाइ जावे। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु  
कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, टॉक को पर्याप्त पुलिस जाणा  
सक्षम न्यायालय का स्थान आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वकन  
पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी  
प्राधान्यों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्मिलवाया जावे। आदेश की  
फाईनलियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीडेन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के  
अनुसार रहन रखी गई सम्पत्ति को ही सिक्योरिटीडेन्टरेस्ट एण्ड सिक्योरिटीडेन्टरेस्ट ऑफ  
निर्णय प्रति तहसीलदार उनीया को भुजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के

उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/कम्पनी का होगा।  
है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्राधान की पालना नहीं की गई है तो सम्पत्ति  
2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के बाध्य पक्ष एवं पक्ष दर्तावेजाल के आधार पर दिये जा रहे  
है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यलय में करवावे।

1. रहन द्वांदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्मिलवाते वकन यदि नियमानुसार आक्षेप प्राप्त होता  
को सम्मिलवाने के आदेश निम्न धारा पर दिए जाते हैं :  
पक्ष के आधार पर प्राधान पक्ष स्वीकार किया जाता है तथा रहन द्वांदा सम्पत्ति को प्रार्थी  
आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विवेचन कर उनके द्वारा दिये गये बाध्य  
नियमों के अनुसार सम्पत्ति का वकन कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थान  
प्राधिकृत अधिकारी ने प्राधान पक्ष के साथ इस आधार का बाध्य पक्ष द्वांदा किया कि